

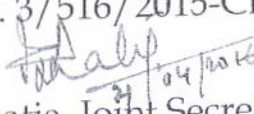
[to be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, the 29/4/2016

S.O. E. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 458 of the Companies Act (18 of 2013), the Central Government being satisfied that circumstances warrant, hereby delegates the powers to appoint Inspectors for inspection of books and papers of a company under sub-section (5) of section 206, as ordered by Central Government, to the Regional Directors.

[F. No. 3/516/2015-CL.II]


Amardeep Singh Bhatia, Joint Secretary



[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,

29/4/2016, 2016

का.आ.....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने पर कि परिस्थितियों में समर्थित करता है, एतद्वारा धारा 206 की उपधारा (5) के अधीन प्रादेशिक निदेशकों को केंद्रीय सरकार के यथा आदेशानुसार किसी कंपनी की बहियों और कागजों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार प्रत्योजित करती है।

[फाइल संख्या 3/516/2015- सीएल.।।]

अमरदीप सिंह
24/04/2016

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव